विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल
(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक L00-18/2024

मो. इस्माईल पिता औलिया साहब,
ग्राम खडकोद, बुरहानपुर (म0प्र0)
मार्फत बी0एच0 अंसारी/अनीस अहमद अधिवक्ता,
निवासी 30/283/3 मोमिनपुरा, बुरहानपुर (म0प्र0)
पिन कोड – 450331 (म.प्र.)

– आवेदक

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (सं./सं.) संभाग,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड , – अनावेदक
स्टेशन मार्ग,बुरहानपुर (म0प्र0),
पिन कोड– 450331 (म.प्र.)

कनिष्ठ अभियंता (संचा./संधा.)
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ,
बुरहानपुर (म0प्र0), पिन कोड– 450331 (म.प्र.)

आदेश
(दिनाँकः 19.02.2025)

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री योगेश तायदे, जूनियर इंजीनियर तथा श्री लोकेश जडिया, सहायक यंत्री उपस्थित।

01. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक W0564823 में पारित आदेश दिनाँक 02.09.2024 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

02. आवेदनकर्ता ने **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021 की कण्डिका 3.37** के प्रावधानानुसार विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत करने का कारण यह बताया कि इन्दौर फोरम द्वारा दिनाँक 02.09.2024 को पारित आदेश फोरम द्वारा दिनाँक

07.11.2024 को डिस्पेंच किया गया जोकि आवेदक को दिनाँक 12.11.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा फोरम द्वारा भेजे गए डाक लिफाफा की प्रति अभ्यावेदन के साथ संलग्न की गई। आवेदक द्वारा विलंब से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के कारणों से संबंधित दस्तावेज स्पष्ट थे। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 की कंडिका क्र. 3.38 के परिपालन से संबंधित 50% विवादित राशि के भुगतान संबंधी विवरण एवं दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये। अतः **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021 की कण्डिका 3.37** के अनुसार समय–सीमा में स्वीकार कर इस अभ्यावेदन को दर्ज कर दिनाँक 30.12.2024 को सुनवाई नियत की गई।

03. **प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–**

आवेदक के नाम से विद्युत कनेक्शन क्रं 99–21–3441006210 स्वीकृत भार 45 एच.पी संविदा मांग /33.57 किलोवाट का गिटटी खदान हेतु है, जिसके संयोजन भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उक्त कनेक्शन की माह सितम्बर' 2021 से दिसम्बर' 2022 तक की अवधि में मासिक औसत खपत 3600 युनिट बनती है, उक्त कनेक्शन का मीटर माह जून' 2023 से माह अक्टूबर' 2023 तक की अवधि में काफी तेज गति से चलने के कारण 5069, 7145, 6779, 7530, युनिट के मासिक विद्युत देयक जारी किये गये थे।

आवेदक द्वारा उक्त मीटर को बदलने का निवेदन किया गया था, जिसके आधार पर उक्त मीटर बदला जा चुका है, उक्त मीटर की जांच के संबंध में कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई अर्थात आवेदक की अनुपस्थित में दिनांक 23.11.2023 बडवाह प्रयोग शाला में जांच कराये जाने पर मीटर सही होना पाया गया एवं मीटर की टी.बी ब्रोकन पाई गई का उल्लेख किया जाकर उक्त अत्याधिक विद्युत खपत के बिल दुरूस्त नहीं किये।

इतना ही नहीं अनावेदक द्वारा माह दिसम्बर' 2023 का बिल आवेदक से बिना अनुबंध निष्पादित कराये उक्त कनेक्शन का भार 45 एच.पी. के स्थान पर 55 एच.पी. का जारी किया जाकर रू. 48,200/– की राशि की मांग की जाने पर दिनांक 07.12.2023 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत की जाने पर अनावेदक द्वारा लेने से इंकार किये जाने पर दिनांक 09.12.2023 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी।

उपरोक्त आधारो पर आवेदक द्वारा माननीय इन्दौर फोरम के समक्ष उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाकर माह जून' 2023 से माह दिसम्बर' 2023 के बिलो को रिवाईज किये जाने एवं रू. 48,200/– की राशि निरस्त कराये जाने का निवेदन किया गया था।

अनावेदक द्वारा माननीय इन्दौर फोरम के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किये गये थे कि, आवेदक के द्वारा मीटर परीक्षण शुल्क जमा किये जाने पर दिनांक 23.11.2023 को बडवाह प्रयोग शाला में जांच कराये जाने पर मीटर की टी.बी. ब्रोकन पाई गई एवं मीटर सही पाया गया जिसके अनुसार उक्त अवधि के विद्युत देयक पुनरक्षित नहीं किये जा सकते है, दिनांक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर.आई रिपोर्ट स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग पाये जाने पर 45 एच.पी के स्थान पर 55 एच.पी के जारी किये जा रहे है, तथा फोरम से अनुरोध किया गया कि आवेदक का परिवाद निरस्त कर बकाया राशि के भुगतान हेतु निर्देशित करें।

उपरोक्त आधारों पर माननीय इन्दौर फोरम द्वारा दिनांक 02.09.2024 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक की शिकायत को अस्वीकार किया गया है, उक्त आदेश रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदक को दिनांक 12.11.2024 को प्राप्त हुआ है, जिससे पीड़ित एवं दुखी होकर वर्तमान अपील माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष निम्न लिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत है।

04. **विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण क्रमांक W0564823 में निम्नानुसार आदेश दिया गया :–**

फोरम का निर्णय :–

"फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारी एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :–

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार दिनांक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर. आई रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किया जा रहा था एवं जब–जब भी एम.डी. बढ़ी है तब–तब खपत भी बढ़ी है। इसके अतिरिक्त परिवादी के यहां से निकाला गया मीटर परीक्षण दिनांक 23.11.2023 को सही पाया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवादी को वर्तमान में जो 55 एच.पी. का बिल जारी किया जा रहा है, वह नियमानुसार सही होकर भुगतान योग्य है।

विपक्ष कम्पनी द्वारा दिनांक 01.08.2023 से 24.08.2023 तक एम.आर. आई रिपोर्ट के आधार पर पाये गये भार के अनुसार 55 एच.पी. के जो बिल जारी किये जा रहे है, स्वीकार योग्य उचित प्रतीत होते है। परिवादी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर विपक्ष बकाया राशि की वसूली हेतु स्वतंत्र है।"

05. **प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा प्रार्थना :–**

उक्त अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र) द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 02.09.2024 को निरस्त कर फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये गये मूल शिकायती आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त सहायताऐ दिलाये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि को ब्याज सहित वापस दिलाये जाने के साथ अपील का खर्च रू 5,000/– भी प्रतिअपीलार्थी से अपीलार्थी को दिलाये जाने कि प्रार्थना की गई है।

06. **प्रस्तुत अभ्यावेदन में फोरम के आदेश से आवेदक के असंतुष्ट/क्षुब्ध होने के निम्न आधार बताये गये हैं :–**

i. *फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी बिंदुओं को नहीं समझकर गंभीर भूल की है।*

ii. *फोरम ने वर्तमान प्रकरण का सुक्ष्मतापूर्वक/गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं करके भी गंभीर भूल की है।*

iii. *फोरम द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्र. 8.16 की मंशा को भी नहीं समझकर गंभीर भूल की हैं।*

iv. *फोरम के द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका क्र. 7.05, 7.06 (क) 7.06 (द्य) 7.08., 7.17, 7.23, 7.25, एवं 7.26 की मंशा को नहीं समझकर गंभीर भूल की है।*

v. *अपीलार्थी यह स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि अपीलार्थी का विद्युत कनेक्शन जिस विद्युत डी.पी पर स्थापित है उक्त डी.पी में किन्ही तकनीकी कारण से खराबी आने के कारण विद्युत डी.पी (जल) गई थी जिसके कारण उक्त कनेक्शन का मीटर एवं उक्त कनेक्शन की वायरिंग एवं कैपीसीटर भी खराब हो गया था, इस तथ्य को भी माननीय इन्दौर फोरम ने नहीं समझकर वर्तमान प्रकरण का गंभीरता पूर्वक निराकरण नहीं किया है।*

vi. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत कनेक्शन पर 01 कन्वेयर मोटर 05 एच.पी एवं 01 क्रेशर मोटर 40 एच.पी की संयोजन है, तथा उक्त मशीनों में टूट फूट होने पर वेल्डिंग मशीन जो कि 3 एच.पी की है, वह केवल रखी हुई है इस आधार पर उक्त कनेक्शन का संयोजन भार 45 एच.पी ही है इस तथ्य को भी माननीय इन्दौर फोरम ने नहीं समझकर गंभीर भूल की है।*

vii. *फोरम द्वारा माह दिसम्बर' 2023 से लगायत माह जुलाई' 2024 के मासिक विद्युत देयक की प्रतियो का भी अवलोकन नहीं किया गया है, जिसमें 29.6, 21.3, 24.7, एम.डी दर्शाई गई है, जिससे भी यह स्थिति स्पष्ट है कि, उक्त कनेक्शन संविदा मांग से कम ही एम.डी दर्ज हो रही है।*

viii. *प्रति अपीलार्थी ने जानबूझकर विधि विरूद्ध उक्त कनेक्शन का भार स्वीकृत भार के 10 एच.पी अतिरिक्त अवैधानिक रूप से अपीलार्थी के विद्युत देयक में बढ़ाकर जो रू. 48,200/– की राशि जोड़कर प्राप्त की गई है, एवं जो 10 एच.पी का अतिरिक्त भार विद्युत देयक में अंकित कर जो अतिरिक्त 10 एच.पी की राशि प्राप्त की जा रही है, वह राशि अपीलार्थी प्रतिअपीलार्थी से ब्याज सहित वापस प्राप्त करने का अधिकार है।*

ix. *अपीलार्थी का विद्युत कनेक्शन एम.डी बैस्ड होने से कनेक्टेड लोड का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एम.डी बैस्ड श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा जिस अवधि में संविदा मांग से अधिक एम.डी का उपयोग किया जाता है, उक्त अवधि के मासिक विद्युत देयक में पैनल चार्ज के रूप में पैनेल्टी राशि प्राप्त की जाने का प्रावधान है।*

x. ***अपीलार्थी के द्वारा माह नवम्बर' 2024 की बिल राशि रू. 98,439/– के पैठे दिनाँक 28.11.2024 को रू. 66,000/– की राशि का भुगतान कर दिया गया है, जिसकी प्रति वर्तमान अपील के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है।***

xi. ***वर्तमान अपील समय अवधि मे प्रस्तुत की जा रही है, उक्त अपील के साथ माननीय इन्दौर फोरम के आदेश दिनांक 02.09.2024 एवं डाक लिफाफा दिनांक 08.11.2024 भी संलग्न कर प्रस्तुत है।***

अतः लोकपाल महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त आधारो पर वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर इन्दौर फोरम के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 को निरस्त की जाकर अपीलार्थी द्वारा इन्दौर फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये गये मूल शिकायती आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त सहायताए दिलाये जाने की कृपा की जावे, साथ ही साथ अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज सहित अपीलार्थी को वापस दिलायी जावे एवं वर्तमान अपील का खर्च रू. 5,000/– भी प्रतिअपीलार्थी से अपीलार्थी को दिलाये जाने की कृपा की जावे।

07. **सुनवाई का संक्षिप्त विवरण**

- दिनाँक 30.12.2024 की सुनवाई के दौरान प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गईः–

फोरम इन्दौर द्वारा दिनांक 17.12.2024 को इस प्रकरण की सम्पूर्ण नस्ती उपलब्ध कराई गई, जो कि रिकार्ड पर ली गई। अनावेदक ने पत्र क्रमांक 3840 से दिनाँक 27.12.2024 द्वारा राजस्व संग्रहण लक्ष्य पूर्ण हेतु कार्य की अधिकता होने के कारण जवाब प्रस्तुत करने हेतु सात दिवस का समय मांगा गया।

दिनाँक 27.12.2024 को ही आवेदक के अधिवक्ता द्वारा भी ई–मेल पर भेजे गये पत्र द्वारा अनावेदक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना के आधार पर सुनवाई की दिनाँक बढ़ाए जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभयपक्षों द्वारा उपरोक्त ई–मेल पर लिखित निवेदन में की गई प्रार्थना पर विचारोपरांत अनावेदक को अपना प्रत्युत्तर दिनांक 09 जनवरी , 2025 तक आवेदक को उसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अनावेदक के उक्त प्रत्युत्तर पर आवेदक को अपना जवाब दिनांक 17.01.2024 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण में अग्रिम सुनवाई **दिनांक 20 जनवरी, 2025** नियत की गई।

- **दिनाँक 20.01..2025** को आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित हुए।

अनावेदक की ओर से श्री योगेश तायदे, जूनियर इंजीनियर तथा श्री लोकेश जडिया, सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री योगेश तायदे, जूनियर इंजीनियर, बुरहानपुर द्वारा अपना अथॉरिटी लेटर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया। सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिलिपि अनावेदक द्वारा आवेदक को दिनांक 09 जनवरी, 2025 को ही उपलब्ध कराई जा चुकी थी। सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपना प्रकरण पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण पर उनके द्वारा की गई बहस को लिखित रूप से भी अनावेदक को एक प्रति उपलब्ध कराते हुए, प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त दोनों दस्तावेजों को रिकार्ड में लिया गया। अनावेदक द्वारा 'मीटर डिस्पोजल स्लिप दिनांक 13.09.2023 की एक प्रति भी रिकार्ड पर प्रस्तुत की गई, जिस पर उपभोक्ता प्रतिनिधि के भी हस्ताक्षर है। उपरोक्त डिस्पोजल स्लिप की एक प्रति आवेदक को भी उपलब्ध कराई गई एवं रिकार्ड पर ली गई।

सुनवाई के दौरान उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि उनको प्रकरण में आगे न ही कोई अतिरिक्त कथन करना है और न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

08. **सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन निम्नानुसार हैं :–**

(क) अनावेदक के कथन :–

सुनवाई दिनांक 20.01.2024 को अनावेदक ने अपने लिखित प्रतिउत्तर में निम्न कथन किया :–

i. *आवेदक के परिसर में सर्विस क्रमांक एन 3441006210 मो. ईस्माईल मो. औलिया साहब के नाम से 45 हार्सपावर का औद्योगिक कनेक्शन स्थापित है।*

ii. *आवेदक द्वारा मीटर तेज गति से चलने की शिकायत किये जाने पर एवं आवेदक द्वारा परीक्षण शुल्क जमा किये जाने पर आवेदक का मीटर निकालकर दिनाँक 23.11.2023 को मीटर परीक्षणा बडवाह प्रयोगशाला में लिया गया, 10 ए.एम.पी लोड पर मीटर को आर.एस. एस के साथ टेस्ट करने पर मीटर 5.1 युनिट चल रहा है तथा मीटर की टी.बी ब्रोकन है। मीटर परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति आवेदक को पत्र क्रमांक 1331 दिनाँक 02.01.2024 के माध्यम से प्रेषित की गयी।*

iii. *आवेदक को मीटर में दर्ज खपत के आधार पर वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत देयक जारी किये गये है।*

iv. *आवेदक को प्रतिमाह वास्तविक खपत के आधार पर देयक जारी किये गये है एवं आवेदक के मीटर की दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर.आई किये जाने पर स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किये जाने के कारण आवेदक का स्वीकृत भार 45 हार्स के पावर स्थान पर 55 हार्स पावर के विद्युत देयक जारी किये जा रहे है जो कि सही है।*

v. *आवेदक के मीटर की दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर.आई के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किया गया है। उपरोक्त एम.आर.आई. रिपोर्ट आपको पत्र क्रमांक 1494 दिनाँक 25.01.2024 के माध्यम से प्रेषित की गयी है।*

vi. *आवेदक द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किये जाने के कारण अतिरिक्त बिलिंग राशि रूपये 48,200/– का अंनतिम निर्धारण आदेश जारी किया गया है, जो कि सही होकर वसूली योग्य है।*

माननीय फोरम द्वारा दिनाँक 13.12.2021 को पारित आदेश के परिपालन में आवेदक का विद्युत देयक पुनरीक्षित किया जाकर राशि रूपये 5487/– का समायोजन माह फरवरी–2022 के देयक में किया गया है।

(ख) *अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधारों पर कण्डिकावार प्रतिअपीलार्थी का प्रतिउत्तरः–*

1. *कण्डिका क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 के संबंध में लेख है कि आवेदक का माननीय वि.उ.शि.नि.फो. इन्दौर को इस आशय से आरोपित करना गलत हैं कि प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक बिन्दुओं को गम्भीरतापूर्वक अवलोकन नहीं करके गम्भीर भूल की है, अपितु माननीय फोरम द्वारा विधिक प्रावधानों के आधार पर उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर दिनाँक 02.09.2024 को आदेश पारित किया गया है।*

2. *कण्डिका क्रमांक 07 के संबंध में लेख है कि आवेदक के मीटर की दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर.आई किये जाने के दौरान पाया गया कि आवेदक द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किया गया है। अतः आवेदक नियमानुसार विद्युत देयक जारी कर अतिरिक्त बिलिंग राशि रूपये 48,200/– की मांग की गयी है। उपरोक्त राशि वसूली योग्य होने के आधार पर निर्णय पारित किया गया।*

3. *कण्डिका क्रमांक 08 के संबंध में लेख कि आवेदक के मीटर की दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर.आई किये जाने के दौरान स्वीकृत भार 45 एच.पी के स्थान पर 55 एच.पी पाये जाने के कारण अतिरिक्त बिलिंग की जाकर नियमानुसार 55 हार्स पावर के आधार पर देयक जारी किये जा रहे है।*

4. *कण्डिका क्रमांक 09 के संबंध में लेख कि आवेदक के मीटर की दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर.आई किये जाने के दौरान स्वीकृत भार 45 एच.पी के स्थान पर 55 एच.पी पाये जाने के कारण फिक्स चार्ज एवं सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की अतिरिक्त बिलिंग की गयी है, जो कि वसूली योग्य है।*

5. *कण्डिका क्रमांक 10 स्वीकार है।*
6. *कण्डिका क्रमांक 11 में अंकित जानकारी आवेदक से संबंधित होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती है।*

7. *कण्डिका क्रमांक 12 में उल्लेखित विषय वस्तु माननीय लोकपाल महोदय का क्षेत्राधिकार होने से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।*

अतः माननीय लोकपाल महोदय से निवेदन है कि आवेदक के मीटर की दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर.आई. किये दौरान पाया गया कि आवेदक द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किया गया है। अतः आवेदक नियमानुसार विद्युत देयक जारी कर अतिरिक्त बिलिंग राशि रूपये 48,200/– की मांग की जाकर नियमानुसार 55 हार्स पावर के आधार पर देयक जारी किये जा रहे है। जो कि वसूली योग्य है। अतः माननीय लोकपाल महोदय से सविनय अनुरोध है कि अपीलार्थी का आवेदन सव्यय निरस्त करने का कष्ट करें।

(ग) आवेदक का प्रतिउत्तर :–

दिनाँक 20.01.2025 को आवेदक ने अपने लिखित प्रतिउत्तर में मुख्यतः निम्न कथन किये गये :–

i. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपील के आधार का जो कण्डिकावार जवाब माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में अपीलार्थी माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष स्पष्टीकरण स्वरूप अंतिम तर्क निम्न अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके आधार पर प्रतिअपीलार्थी के कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।*

ii *प्रतीआपीलार्थी के द्वारा माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रं. 8.16 के तहत वादग्रस्त मीटर को जांच कराये जाने संबंधि सूचना पत्र न दिये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तथा विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रं. 8.17 के मुताविक वादग्रस्त मीटर अपीलार्थी की उपस्थिति में जांच न किये जाने पर उक्त वादग्रस्त मीटर की जांच रिपोर्ट दिनाँक 23.11.2023 अपीलार्थी पर बंधन कारक नहीं है।*

iii *प्रतिअपीलार्थी ने अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी से बचने के लिये माह जून' 2023 से माह अक्टूबर' 2023 तक की अवधि में वादग्रस्त मीटर जो 5069, 7145, 6779, 7530 युनिट की विद्युत खपत दर्ज होने के संबंध में जो कथन किये गये है, वह बिना किसी ठोस प्रमाण के स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के उक्त कनेक्शन पर वादग्रस्त मीटर के हटाये जाने के उपरांत स्थापित किये गये दूसरे मीटर में 3000 युनिट से 4000 युनिट*

के आस पास की विद्युत खपत दर्ज होती चली आई है यदि निश्चित रूप से अपीलार्थी के कनेक्शन पर अत्याधिक भार/खपत का उपयोग किया जाता तो निश्चित रूप से वर्तमान मे भी उतनी ही खपत दर्ज होती जितनी की माह जून' 2023 से माह अक्टूबर' 2023 में दर्ज हुई है।

iv. *उपरोक्त आधारों पर पूर्व में स्थापित वादग्रस्त मीटर निश्चित रूप से खराब था जिसके कारण उक्त मीटर वास्तविक खपत से अधिक खपत के साथ–साथ एम.डी. भी अधिक दर्शा रहा था इसलिए अपीलार्थी की ओर जारी किये गये उक्त अवधि के विद्युत बिल विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रं. 8.44 की मंशा के मुताबिक अधिभार एवं सरचार्ज सहित रिवाईज किये जाने योग्य है।*

v. *प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपील के आधार की कण्डिका क्रं. 1 से लगायत 12 के संबंध में केवल माननीय फोरम के द्वारा वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन पर अनुचित एवं अवैधानिक रूप से 10 एच.वी का भार बढ़ाये जाने एवं अतिरिक्त से रू. 48,200/– की राशि की मांग किये जाने के संबंध में जो कथन किये है इस संबंध में प्रतिअपीलार्थी द्वारा जो विद्युत प्रदाय संहिता में प्रावधान एवं नियमों का उसे पालन किया जाना चाहिए था, उसका ना तो पालन किया गया है और ना ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई उत्तर/स्पष्टीकरण माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:–*

अपीलार्थी माननीय लोकपाल महोदय की सेवा में विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रं. 7.5(क), 7.6 (द्य), 7.8, 7.17, 7.23, 7.25 एवं 7.26 की मंशा की ओर ध्यान आर्कषित कराना चाहता है जिसके गंभीरतापूर्वक एवं सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करने के उपरांत अवलोकन करने के उपरांत माननीय लोकपाल महोदय यह पायेगें कि प्रतिअपीलार्थी ने विद्युत प्रदाय संहिता में उल्लेखित प्रावधानों तथा माननीय विद्युत नियामक आयोग भोपाल द्वारा जारी रिटेल टैरिफ आर्डर में उल्लेखित दिशा निर्देश का प्रतिअपीलार्थी द्वारा घोर उल्लंघन किया जाकर अनुचित एवं अवैधानिक रूप से अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन पर अतिरिक्त से 10 एच.पी का भार बढ़ा दिया गया है तथा रू. 48,200/– का विधि और नियम के विपरीत मांग की जा रही है, जो निम्न अनुसार आधारों पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है:–

7.5 यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग मे वृद्धि हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

7.6 (क) जहां स्थापना में परिर्वतन किया जाना सन्निहित हो वहां अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठैकेदार द्वारा किये गये कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) तथा परिक्षण प्रतिवेदन टैस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

7.6 (घ) एक अनुपूरक अनुबंध (सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट) निष्पादित करेगा।

7.8 ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता इस संहिता में विर्निदिष्ट की गई अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से भी अधिक संविदा मांग में वृद्धि करने का इच्छुक हो तो उसे उच्चतर वोल्टेज स्तर के लिये अंतरण करना होगा या फिर वह उच्चतर वोल्टेज में अन्तरण विद्यमान संविदा मांग के अंर्तगत जो उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं की अर्हता रखता हो कि प्राप्ती का इच्छुत हो तो उसे यथा प्रयोज्य म.प्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम में निर्दिष्ट उक्त उच्चतर वोल्टेज के अंर्तगत उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाय अफोर्डींग चार्जेस) प्रभारों को भुगतान करना होगा।

7.17 आवेदक द्वारा एक मानक प्रारूप (स्टेन्डर्ड फार्मैट) में निर्दिष्ट मूल्य के स्टाम्प पर नवीन संयोजन की प्राप्ती हेतु तथा संविदा मांग में परिर्वतन या मानदण्डों के संबंध में अन्य किसी सहमत किये गये परिर्वतन के लिये करार/अनुबंध निष्पादित किया जावेगा, विशिष्ट परिस्थिति में दोनों उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से अनुबंध में कुछ विशिष्ट कण्डिकाओं का समावेश किया जा सकेगा, उक्त कण्डिका विद्युत अधिनियम 2003 क्रं. 36 वर्ष 2003 एवं प्रभावशील अन्य नियम व शर्तों के प्रतिकुल न हो। यह विशिष्ट कण्डिकाए अनुबंध का भाग होगीं । समस्त औपचाक्तिाए पूर्ण किये जाने के पश्चात् निष्पादित किये गये करार/अनुबंध की एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान की जावेगी। उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय आवेदन के साथ जमा किया गया मानचित्र (प्लान) जिसपर उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी की सहमति एवं हस्ताक्षर हो, करार/अनुबंध का भाग होगा।

7.23 अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध को यदि संशोधित/परिर्वतीत करने की आवश्यकता हो तो ऐसा एक अनुपूरक करार/अनुबंध (सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट) के माध्यम से किया जा सकेगा।

7.25 नाम परिर्वतन, परिसर के स्थानातरण, संयोजित भार में परिर्वतन या विद्युत दर (टैरिफ) श्रेणी में परिवर्तन के उद्देश्य से किये जाने वाले संशोधन उसी परिस्थिति में निष्पादित

किया जावेगें जब उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों ऐसे संशोधनों के लिए सहमत हो तथा इन संशोधनो को अनुबंध में समाहित करने के लिये अनुपूरक अनुबंध का निष्पादन किया जावेगा। अनुपूरक करार/अनुबंध (सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट) के निष्पादन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

7.26 यदि उपभोक्ता को स्वीकृत तथा संयोजित भार से अधिक विद्युत की खपत करते हुए पाया जाता है ऐसे उपभोक्ता से विद्युत दर (टैरिफ) आदेश में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग द्वारा वसूली की जावेगी।

vi. *अपीलार्थी माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष यह भी निवेदन करता है कि प्रतिअपीलार्थी ने दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 की अवधि की एम.आर.आई की प्रति प्रस्तुत की है, किन्तु जिस अवधि में अपीलार्थी के विद्युत बिल अत्याधिक खपत के जारी किये गये है अर्थात् माह जून' 2023 से माह अक्टूबर' 2023 तक की अवधि की जान बूझकर एम.आर. आई की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही अपीलार्थी से भार वृद्धि संबंधित कोई सहमति प्राप्त की जाकर अपीलार्थी से कोई अतिरिक्त से अनुबंध निष्पादित कराया गया है।*

vii. *प्रतिअपीलार्थी ने विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में दर्शाये प्रावधान अनुसार अपीलार्थी के उक्त कनेक्शन पर भार बढोत्री किये जाने से पूर्व कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई है।*

viii. *अपीलार्थी माननीय लोकपाल महोदय की सेवा में म.प्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रिटेल सप्लाय टैरिफ आर्डर 2023–2024 की टर्म्स कण्डिशन की ओर आकर्षित कराना चाहता है जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जिस उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन एम.डी. बैस्ड श्रेणी में आता है और उक्त कनेक्शन पर संविदा मांग से अधिक एम.डी जिस अवधि में दर्ज होती है तो विद्युत कंपनी का यह दायित्व होगा कि उक्त अवधि में जारी किये गये विद्युत देयक में ही अधिक दर्ज एम.डी की पैनल बिलिंग पैनेल्टी के रूप मे जोड़कर प्राप्त की जाना चाहिए जिसका भी प्रतिअपीलार्थी ने वर्तमान प्रकरण में पालन नहीं किया है।*

ix. *उपरोक्त समस्त नियमों, प्रावधानो तथा माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आर्डर में उल्लेखित टर्म्स कण्डिशन की मंशा के मुताबिक प्रतिअपीलार्थी ने वर्तमान प्रकरण में पालन नहीं करके जो अनुचित एवं अवैधानिक रूप से जो अपीलीर्थी के विद्युत कनेक्शन का भार माह दिसम्बर' 2023 से 45 एच.पी. के स्थान पर 55 एच.पी किया जाकर जो*

विद्युत देयक 55 एच.पी के अनुसार जारी किये जा रहे है वह निरस्त किया जाकर 45 एच.पी के अनुसार जारी कराया जाकर प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी से जो 10 एच.पी की अतिरिक्त डिफरेंस बिल राशि प्राप्त की गई है वह अपीलार्थी ब्याज सहित न केवल वापस प्राप्त करने का अधिकारी है बल्कि जो रू. 48,200/– की राशि स्वीकृत भार 45 एच.पी के स्थान पर 55 एच.पी तथा कथित रूप से उपयोग किये जाने के आधार पर मांग की जा रही है वह भी निरस्त किये जाने योग्य है तथा माह जून' 2023 से लगायत माह अक्टूबर' 2023 की अवधि में दर्ज अत्याधिक विद्युत खपत को भी विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रं. 8.44 की मंशा के मुताबिक अधिभार एवं सरचार्ज सहित रिवाईज किये जाने संबंधि आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई समस्त राशि का भी समायोजन कराया जाकर अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी से वर्तमान अपील खर्च के रूप में रू. 5000/– की राशि भी दिलाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

09. **इस प्रकरण में अभ्यावेदन के साथ एवं सुनवाई के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गएः–**

(i) अनावेदक द्वारा आवेदक को जारी किया गया माह अगस्त 2023 से सितम्बर' 2024 तक एवं माह नवबंर' 2024 के विद्युत देयकों की प्रति।

(ii) दिनाँक 28.11.2024 को आवेदक द्वारा रू. 66,000/– की राशि जमा किये जाने की पावती की प्रतिलिपि।

(iii) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रति संलग्न की गईः–

क. विवादित मीटर की माह अगस्त' 2023 एवं माह सितम्बर' 2023 के कुछ दिवसों की MRI /लोड सर्वे (load survey) रिपोर्ट की प्रतिलिपि।

ख. उपभोक्ता के विवादित मीटर दिनाँक 13.09.2023 को बदलने पर मीटर डिस्पोजल (Meter disposal slip) की प्रतिलिपि।

ग. उपभोक्ता/आवेदक की विद्युत खपत के संबंध में माह मई' 2022 से लेकर मार्च' 2024 तक हुई खपत की "Consumer Report".

घ. अनावेदक के पत्र दिनांक 25.01.2024 की प्रतिलिपि, जिसके द्वारा विवादित मीटर की MRI रिपोर्ट आवेदक को भेजी गईं।

च. विवादित मीटर की परीक्षण रिपोर्ट आवेदक को भेजे जाने संबंधित पत्र दिनांक 02.01.2024 की प्रतिलिपि।

10. **प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभयपक्षों (आवेदक/अनावेदक) के कथनानुसार इस प्रकरण में पर्यवेक्षण निम्नानुसार है :–**

i. प्रकरण में सुनवाई के दौरान "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021" की कण्डिका 3.38 के परिपालन में आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा जारी आदेश दिनाँक 02.09.2024 की स्थिति में आवेदक पर माह सितम्बर' 2024 के विद्युत देयक अनुसार रू. 1,10,898/– के विद्युत बिल की बकाया राशि थी, जिसमें से आवेदक द्वारा रू. 66,000/– 28 नवम्बर' 2024 को जमा कर दिया गया है। बिल के भुगतान पावती की प्रतिलिपि आवेदक द्वारा अभ्यावेदन के साथ जमा की गई है। उक्त कथन से अनावेदक प्रतिनिधि सहमत पाए गए। अतः आवेदक द्वारा विनियम की कण्डिका 3.38 का पालन होने पर इस प्रकरण में निराकरण हेतु सुनवाई शुरू की गई।

ii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं प्रस्तुत लिखित प्रतिउत्तर अनुसार उपभोक्ता/आवेदक के 45 एच.पी का स्वीकृत भार एवं 33.57 किलोवॉट संविदा मांग (Contract Demand) के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर में माह जून' 2023 से माह अक्टूबर' 2023 की अवधि में अत्याधिक मासिक विद्युत खपत रिकार्ड किए जाने पर मीटर को बदलने एवं विद्युत देयकों को सुधारने हेतु आवेदक द्वारा अनावेदक से 13 सितम्बर' 2023 को निवेदन किया गया। उक्त निवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिनाँक 13.09.2023 को ही मीटर की एम.आर.आई. कर मीटर को बदल दिया गया। मीटर को बदलने के साथ अनावेदक द्वारा "मीटर डिस्पोजल स्लिप" भी प्रस्तुत की गई जिस पर उपभोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् आवेदक के आवेदन पर अनावेदक द्वारा मीटर को परीक्षण हेतु अनावेदक की "मीटर परीक्षण प्रयोगशाला, बढ़वाह" में भेजकर परीक्षण करवाया गया। उक्त मीटर का परीक्षण अनावेदक की प्रयोगशाला में दिनाँक 23.11.2023 को किया गया, जिसमें मीटर की कार्य–प्रणाली सही पाई गई एवं मीटर के टर्मिनल बाक्स की सील टूटी मिली। मीटर की परीक्षण रिपोर्ट की प्रति अनावेदक द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत की गई।

iii. आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि विवादित अवधि जून' 2023 से माह अक्टूबर' 2023 तक की औसत मासिक खपत लगभग 6600 यूनिट

दर्ज हुई जबकि आवेदक की खपत सामान्यतः लगभग 3600 यूनिट प्रतिमाह रही है। आवेदक की ओर से यह कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा उसके मीटर परीक्षण करने के पूर्व न ही उसको मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में प्रावधानों के अनुसार सूचना दी गई और न ही आवेदक की उपस्थिति में मीटर का परीक्षण कराया गया। आवेदक द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादग्रस्त मीटर को बदलते समय अनावेदक द्वारा मीटर से ली गई एम.आर.आई रिपोर्ट की प्रति भी आवेदक को प्रदान नहीं की गई। अनावेदक वितरण कम्पनी द्वारा एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता/आवेदक का स्वीकृत भार 45 एच.पी. से बढ़ाकर 55 एच.पी. एवं संविदा मांग 33.57 किलोवॉट से बढ़ाकर 41.03 किलोवॉट, माह दिसम्बर' 2023 के विद्युत देयक में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में प्रावधानों की अवहेलना करते हुए बिना किसी अनुबंध के बढ़ा दी गई एवं माह अगस्त' 2023 की एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर माह दिसम्बर' 2023 के विद्युत देयक में संविदा मांग से ऊपर पाई गई विद्युत मांग पर रू. 48,200/– की अतिरिक्त बिलिंग भी की गई है जो कि सीसीबी एडजस्टमेंट में दर्शाई गई है एवं पूर्णतः अवैधानिक है।

iv. आवदेक अधिवक्ता ने अपने कथन में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रमांक 8.44, 8.16, 7.5, 7.6, 7.8, 7.17, 7.23, 7.25 एवं 7.26 में प्रावधानों को आधार बनाते हुए अनावेदक द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त विद्युत बिलिंग एवं उसकी संविदा मांग को बिना अनुबंध के बढ़ाए जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए अवैधानिक बताया।

v. अनावेदक के कथन अनुसार आवेदक के मीटर की दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 की एम.आर.आई किए जाने पर आवेदक द्वारा स्वीकृत भार 45 हार्स पॉवर से अधिक भार 55 हार्स पॉवर का उपयोग किए जाने के कारण बढ़े हुए भार 55 हार्स पॉवर के आधार पर मासिक विद्युत देयक निरंतर जारी किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने के कारण रू. 48,200/– की अतिरिक्त बिलिंग का अंतिम निर्धारण आदेश भी अनावेदक द्वारा जारी किया गया। अनावेदक द्वारा फोरम के आदेश दिनाँक 13.12.2021 के परिपालन में विद्युत देयक पुनरीक्षित कर रू. 5487/– का समायोजन आवेदक के माह फरवरी' 2022 के देयक में किया गया। तथापि फोरम के उक्त आदेश 13.12.2021 से संबंधित कोई अन्य कथन उभयपक्षों द्वारा इस प्रकरण में नहीं प्रस्तुत किया गया।

vi. अनावेदक द्वारा अपने लिखित उत्तर के साथ माह अगस्त' 2023 की मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/उपभोक्ता द्वारा दिनाँक 01.08.2023, 02.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023 एवं 24.08.2023 को संविदा मांग से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया गया है।

vii. अभिलेखों पर प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा आवेदक को पत्र क्रमांक 1331 दिनाँक 02.01.2024 एवं 1494 दिनाँक 25.01.2024 द्वारा मीटर परीक्षण रिपोर्ट एवं एम.आर.आई. रिपोर्टों की प्रति क्रमशः प्रेषित की गईं है। अतः सुनवाई के दौरान **आवेदक अधिवक्ता का यह कथन की उक्त रिपोर्ट आवेदक को प्रस्तुत नहीं की गई, स्वीकार योग्य नहीं है।**

viii. प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दिनांक 01.08.2023 से 24.08.2023 तक की एम.आर.आई रिपोर्टों के अनुसार आवेदक की अधिकतम मांग उसकी संविदा मांग से अधिक पाईं गईं थी। ऐसी स्थिति में की जाने वाली अतिरिक्त बिलिंग एवं कार्यवाही माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023–2024 के टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023 हेतु टैरिफ अनुसूची **LV- 4.1 (a)** (आवेदक पर [Demand Based Tariff] मांग आधारित टैरिफ अनुसूची लागू होती है) में वर्णित है।

ix. **इस प्रकरण से संबंधित बिंदुओं के परीक्षण उपरांत निराकरण हेतु मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में निम्न प्रावधानों का सावधानीपूर्ण अध्ययन करना उचित होगा :–**

उच्चतम मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) वाले निम्नदाब उपभोक्ता एवं समस्त उच्चदाब एवं अति उच्चदाब उपभोक्ता हेतु कण्डिका 7.2 में निम्न प्रावधान हैं :–

*"**7.2** ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुरूप होगी। तथापि, निम्नदाब संयोजन, **जो मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) से युक्त हों, के** प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी को करार/अनुबन्ध में दोनों **संयोजन भार तथा संविदा मांग** का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।"*

*"**7.6** यदि बढ़े हुए भार का विद्युत प्रदाय किया जाना व्यवहारिक पाया जाता है तो उपभोक्ता ––*

(क) *जहां स्थापना में परिवर्तन किया जाना संन्निहित हो, वहां वह अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) तथा परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत करेगा।*

(ख) *यदि आवश्यक हो तो वह उच्चदाब/अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में विद्युत स्थापना हेतु विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन–पत्र प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना के लिये अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।*

(ग) *अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि), प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन तथा परिवर्तन की लागत, यदि लागू हो, तथा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करेगा।*

(घ) *एक अनुपूरक अनुबंध (सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट) निष्पादित करेगा।*

(ड.) *ऐसे प्रकरणों, में जहां निम्नदाब मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य हो तथा उपभोक्ता उसके संयोजित भार में संविदा मांग में बिना किसी परिवर्तन के अभिवृद्धि करना चाहे, वहां वह अनुज्ञप्तिधारी को विद्यमान उपकरणों तथा संयोजित किये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों का विवरण दर्शाते हुए एक आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी तत्काल उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करेगा तथा संयोजित भार को सत्यापित करेगा, ताकि धारा 4.25 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन किया जा सके तथा उपभोक्ता को सूचित करेगा कि क्या संयोजित भार उपभोक्ता को प्रयोज्य विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के भीतर है। यदि विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के बारे में परिर्वतन किया जाना आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर उपभोक्ता को लिखित में सूचित करेगा। यदि अनुबंध मांग तथा प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) में कोई परिर्वतन किया जाना आवश्यक न हो तो अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता संयोजित भार में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में एक करार/अनुबंध निष्पादित करेंगे तथा उपकरणों की सूची, संयोजन भार का विवरण दर्शाते हुए, अनुबंध का एक भाग होगी। ऐसे प्रकरण में, उपभोक्ता को किसी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नहीं करना होगा। तथापि, उपभोक्ता को यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की*

वसूली) विनियम के अनुसार आवश्यक विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चाजेंस) का भुगतान करना होगा।

"7.8 ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता इस संहिता में विनिर्दिष्ट की गई अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से भी अधिक ***मांग में वृद्धि करने का इच्छुक हो तो उसे उच्चतर वोल्टेज*** *स्तर के लिये अन्तरण करना होगा या फिर यदि वह उच्चतर वोल्टेज में अन्तरण विद्यमान संविदा मांग के अन्तर्गत, जो उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं की अर्हता रखता हो, की प्राप्ति का इच्छुक हो तो उसे यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये सयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम में निर्दिष्ट उक्त उच्चतर वोल्टेज के अन्तर्गत, उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।*

" 7.25 नाम परिर्वतन, परिसर के स्थानांतरण, संयोजित भार में परिर्वतन या विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी में परिवर्तन के उद्देश्य से किये जाने वाले संशोधन उसी परिस्थिति में निष्पादित किये जायेंगे, जब उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ऐसे संशोधनों के लिये सहमत हों तथा इन संशोधनों को अनुबंध में समाहित करने के लिये अनुपूरक अनुबंध का निष्पादन किया जायेगा। अनुपूरक करार/अनुबंध (सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट) के निष्पादन की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

" 7.26 यदि उपभोक्ता को स्वीकृत तथा संयोजित भार से अधिक विद्युत की खपत करते हुए पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता से विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग द्वारा वसूली की जाएगी। "

x. **निम्न दाब उपभोक्ता के लिए माननीय म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी, वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु टैरिफ आदेश दिनाँक 28.03.2023 में वर्णित निम्न सामान्य निबंधन एवं शर्तों है।**

"7. ***Additional Charge for Excess connected load or Excess Demand:*** *Shall be billed as per the following procedure:*

a) ***For demand based Tariff:*** *The consumers availing supply at demand based tariff shall restrict their actual maximum demand within the contract demand. However, in case the actual maximum demand recorded in any month exceeds 120% of contract demand, the tariff in this schedule shall apply to the extent of 120% of the contract demand only. The consumer shall be charged for demand recorded in excess of 120% of contract demand (termed as Excess Demand) at the following rates:-*

i. ***Energy charges for Excess Load:-*** *No extra charges are applicable on energy charges due to excess demand or excess connected load.*

ii. ***Fixed Charges for Excess Demand:-*** *These charges shall be billed as per the following:*

1. ***Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 130% of the contract demand:*** *Fixed Charges for Excess Demand over and above the 120% of contract demand shall be charged at 1.3 times the normal rate of Fixed Charges.*

2. ***Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 130% of contract demand:*** *In addition to Fixed Charges in 1 above, recorded demand over and above 130% of the contract demand shall be charged at 2 times the normal rate of Fixed Charges.*

……

……

c) *The above billing for Excess Connected Load or Excess Demand, applicable to consumers is without prejudice to the Distribution Licensee's right to ask for revision of agreement and other such rights that are provided under the Regulations notified by the Commission or under any other law.*

11. उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा जारी टैरिफ आदेश में प्रावधानों अनुसार इस प्रकरण में विवादित बिन्दुओं के परीक्षण उपरान्त निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

(i) मीटर परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता का विवादित मीटर सही कार्य कर रहा था जिसको उपभोक्ता के आवेदन पर अनावेदक द्वारा 13.09.2023 को MRI/लोड सर्वे रिपोर्ट लेकर बदला गया।

(ii) उपरोक्त मीटर की MRI रिपोर्ट अनुसार उपभोक्ता की वास्तविक उच्चतम मांग माह अगस्त, 2023 में संविदा मांग से ऊपर पाई गई, जो कि प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन उपरातं सही है।

(iii) प्रयोगशाला द्वारा मीटर के परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर माह जून, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक की अवधि में मीटर में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर अनावेदक द्वारा की गई बिलिंग सही एवं भुगतान योग्य है।

(iv) इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि से यह जानकारी ली गई कि उनके द्वारा माह अगस्त, 2023 में आवेदक के मीटर की एम.आर.आई/लोड सर्वे करने पर संविदा मांग के ऊपर पाई गई उच्चतम मांग (भार) के आधार पर माह दिसम्बर, 2023 में जोड़ी गई अतिरिक्त बिलिंग एवं उपभोक्ता की संविदा मांग को दिसम्बर, 2023 से उसके विद्युत देयक में बढ़ाकर की जा रही बिलिंग म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किस विनियम/संहिता या विद्युत अधिनियम, 2003 के किस प्रावधान के अंतर्गत की गई है। परन्तु अनावेदक प्रतिनिधि ऐसा कोई भी विधिक प्रावधान बताने में असमर्थ रहे जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा आवेदक/उपभोक्ता को दिसम्बर, 2023 में अतिरिक्त बिलिंग की गई एवं उसके पश्चात् के विद्युत देयकों में भी संविदा मांग बढ़ाकर विद्युत देयक जारी किया जा रहा है।

(v) यह तथ्य अविवादित है कि उपभोक्ता पर Demand based Tariff लागू होता है, जोकि आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में वर्णित श्रेणी एल0वी0 4.1(ए) के अंर्तगर्त आता है। उपरोक्त टैरिफ आदेश में प्रदत्त सामान्य शर्तों एवं निबंधन की कण्डिका – 7 में दो प्रकार के उपभोक्ताओं के लिये अधिक संयोजित भार या मांग उपयोग करने पर अतिरिक्त प्रभार हेतु अलग–अलग बिलिंग प्रक्रियां वर्णित हैं।

(vi) कण्डिका 7(ए) Demand Based Tariff वाले उपभोक्ताओं पर तथा कण्डिका 7(बी) Connected Load Based Tariff वाले उपभोक्ताओं पर लागू होती है । उक्त कण्डिकाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि Demand Based Tariff वाले उपभोक्ताओं (जो कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक का है) के संदर्भ में **अधिकतम मांग और संविदा मांग** का ही उपयोग

किया गया है, जबकि Connected Load Based Tariff वाले उपभोक्ताओं के लिए **संयोजित भार** और **स्वीकृत भार** का उपयोग किया गया है। चूंकि आवेदक पर Demand Based Tariff लागू होता है, इसलिए उस पर संविदा मांग एवं अधिकतम मांग लागू होगी। उक्त टैरिफ आदेश की कण्डिका 7(ए) अनुसार ऐसे प्रकरण में जब उपभोक्ता की किसी भी माह में अपनी संविदा मांग के 120 प्रतिशत से अधिक उच्चतम मांग दर्ज होती है तो उस पर सामान्य टैरिफ से 1.3 गुना से लेकर दोगुना तक स्थाई प्रभार लगाने का प्रावधान है। उक्त टैरिफ आदेश की कण्डिका 7(सी) में यह लेख है कि उपरोक्त प्रकरणों में यदि संविदा मांग से ज्यादा वास्तविक उच्चतम मांग दर्ज होती है तो टैरिफ आदेश अनुसार अतिरिक्त बिलिंग के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारी विधिक प्रावधानों में उसको प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उपभोक्ता के साथ अनुबंध में पुनरीक्षण करा सकता है।

(vii) इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा आवेदक को माह दिसम्बर, 2023 के विद्युत देयक में की अतिरिक्त बिलिंग टैरिफ आदेश में प्रदत्त उपरोक्त बिलिंग प्रणाली के अनुसार नही पाईं गईं।

(viii) मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 7.2 में प्रावधान अनुसार उपभोक्ता की संविदा मांग उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुसार ही होगी, जबकि इस प्रकरण में आवेदक/उपभोक्ता की संविदा मांग को बिना किसी अनुपूरक अनुबंध निष्पादित किए अनावेदक द्वारा विद्युत देयकों में बढ़ा दिया गया है। मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 7.6 में प्रावधान अनुसार भी निम्न दाब Demand Based Tariff लागू होने वाले उपभोक्ताओं की संयोजित भार में संविदा मांग के बिना किसी परिवर्तन के अभिवृद्धि के लिए अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के आवेदन पर कण्डिका 7.6(ड.) अनुसार कार्यवाही कर अनुपूरक अनुबंध निष्पादित करना है। अतः आवेदक/उपभोक्ता के माह दिसम्बर, 2023 के विद्युत देयक एवं बाद के विद्युत देयकों में बिना किसी अनुपूरक अनुबंध के संविदा मांग को अनावेदक द्वारा बढ़ा देना विधिसंगत नहीं पाया जाता है।

(ix) उपरोक्त प्रावधान एवं तथ्यों के परीक्षण उपरान्त विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा यह निर्णय कि *"दिनाँक 01.08.2023 से 24.08.2023 तक एम. आर.आई रिपोर्ट के आधार पर पाये गये भार के अनुसार 55 एच.पी. के जो बिल जारी किये जा रहे हैं उचित प्रतीत होते है"* अपास्त किया जाता है एवं अनावेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर्यवेक्षण एवं निष्कर्ष अनुसार आवेदक/उपभोक्ता के दिसम्बर,

2023 के विद्युत देयक में जोड़ी गई अतिरिक्त बिलिंग एवं संविदा मांग को बढ़ाकर जारी किए गए विद्युत देयकों को माननीय आयोग द्वारा जारी उपरोक्त टैरिफ आदेश में प्रदत्त बिलिंग प्रणाली अनुसार पुनरीक्षण कर उपभोक्ता को इस आदेश की तिथि से 45 दिवस के भीतर संशोधित विद्युत देयक जारी किया जाए।

12. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

13. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल